न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
03 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	10.05.2012	04.07.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी (विक्रेता) श्री राम भोजनालय एवं मिष्ठान भण्डार पुलिस थाने के पीछे जहाजपुर नाका देवली जिला टोंक निवासी पुलिस थाने के पीछे जहाजपुर नाका देवली जिला टोंक
2–मैसर्स श्री राम भोजनालय एवं मिष्ठान भण्डार पुलिस थाने के पीछे जहाजपुर नाका देवली जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक श्री अजय सिंह सोलंकी अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 04.07 2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.10.2011 को समय 12:30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्री राम भोजनालय एवं मिष्ठान भण्डार पुलिस थाने के पीछे जहाजपुर नाका देवली जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहॉ पर श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पंकज चौधरी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु स्टील की परात में लगभग 20 किलोग्राम **मावा बर्फी** रखी हुई थी जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री पंकज चौधरी गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री पंकज चौधरी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मावा बर्फी** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की जा रही हैं, 2 किलोग्राम **मावा बर्फी** खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **मावा बर्फी** को हिलाकर एकरूप कर चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतलों में बराबर–बराबर 500–500 ग्राम डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन को एयरटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये एवं लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–116 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–116 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./11/4158 दिनांक 01.12.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/86/एफएसएसए/2011/78 दिनांक 04.11.2011 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **मावा बर्फी अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मावा बर्फी** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 07.09.2012 को श्री अजयसिंह सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब–बहस हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक द्वारा कोई जवाब–बहस पेश नहीं की गई। इससे प्रतीत होता हैं कि अभिभाषक प्रार्थी अपने पक्ष में कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा बर्फी** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा **बर्फी** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000 (अक्षरे दो लाख रू0)आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0